न्यायालयःविशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या–14 ,बुलन्दशहर ।

उपस्थित : चन्द्र विजय श्रीनेत, एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या–39/2015

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

1. भूपेन्द्र यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव
2. मोहित शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा
3. आदेश शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा
4. सोनू मलिक पुत्र उदयवीर सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम छायसा, थाना जारचा, जिला गौमतबुद्धनगर।

अपराध संख्या–512/2014
धारा–147,148,149,307भा.द.सं.
थाना–सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

संबंधित सत्र परीक्षण संख्या–40/2015

UPBU01-000260-2015

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

भूपेन्द्र यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव, निवासी ग्राम छायसा, थाना जारचा, जिला गौमतबुद्धनगर।

अपराध संख्या–513/2014
धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना–सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

संबंधित सत्र परीक्षण संख्या–41/2015

UPBU01-000261-2015

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

मोहित शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा, निवासी ग्राम छायसा, थाना जारचा, जिला गौमतबुद्धनगर।

अपराध संख्या–514/2014
धारा–4/25 आयुध अधिनियम
थाना–सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

Digitally signed by CHANDRA VIJAY SRINET
Date: 2026.08.12 16:49:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संबंधित सत्र परीक्षण संख्या–42/2015

UPBU01-000262-2015

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

आदेश शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा, निवासी ग्राम छायसा, थाना जारचा, जिला गौमतबुद्धनगर।

अपराध संख्या–515/2014
धारा–4/25 आयुध अधिनियम
थाना–सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

संबंधित सत्र परीक्षण संख्या–44/2015

UPBU01-000264-2015

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

1. भूपेन्द्र यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव
2. मोहित शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा
3. आदेश शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा
4. सोनू मलिक पुत्र उदयवीर सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम छायसा, थाना जारचा, जिला गौमतबुद्धनगर।

अपराध संख्या–517/2014
धारा–420,467,468,471 भा.द.सं.
थाना–सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

<u>निर्णय</u>

1. अभियुक्तगण भूपेन्द्र यादव, मोहित शर्मा, आदेश शर्मा, सोनू मलिक, रितविक उर्फ बबलू शर्मा के विरूद्ध थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर की पुलिस द्वारा अपराध संख्या 512/2014 अन्तर्गत धारा–147,148,149,307 भा0द0सं0,अपराध संख्या 517/2014 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध अपराध संख्या 513/2014 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त मोहित शर्मा के विरूद्ध अपराध संख्या 514/2014 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त आदेश शर्मा के विरूद्ध अपराध संख्या 515/2014 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में प्रस्तुत अलग–अलग आरोप पत्र पर उनका विचारण किया गया।

अभियुक्त रितविक उर्फ बबलू शर्मा के किशोर अपचारी होने के कारण उसकी पत्रावली न्यायालय आदेश दिनांकित 27.08.2018 द्वारा किशोर न्याय बोर्ड बुलन्दशहर को भेजी गयी।

2. उपरोक्त सभी पत्रावलियॉ एक ही घटना से संबंधित होने तथा उनके समेकित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त पत्रावलियों में निर्णय एक साथ पारित किया जा रहा है तथा सत्र परीक्षण संख्या 39/2015 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम भूपेन्द्र यादव आदि अन्तर्गत धारा

147,148,149,307 भारतीय दण्ड संहिता को अग्रज सत्र परीक्षण बनाया गया है।

3. संक्षेप में, अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 13.06.2014 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक राकेश कुमार मय एच.सी.पी. जयपाल सिंह मालिक, का0 प्रवीण कुमार, का0 राजेन्द्र सिंह,का0 अनुज कुमार, का0 198 जितेन्द्र सिंह के मय जीप सरकारी नम्बर यू.पी.13 ए.जी.–0113 मय चालक कमल सिंह के थाने से बहवाले रपट 42 समय 19.30बजे तलाश वांछित अपराधी, संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, गस्त व देखरेख इलाका थाना हाजा सेरवाना होकर खुर्जा रोड पर गस्त करते हुए जब गाजर प्लान्ट क सामने पहॅुचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि पॉच बदमाश जिनके पास चोरी की स्वीफट कार है,इसी रोड पर आगे कब्रिस्तान के सामने खडे है, जल्दी करने पर पकडे जा सकते हैं। स्वीफट गाडी पर यू.पी.16 ए.ई. 2639 की नम्बर प्लेट लगी है। इस सूचना पर विश्वास करके वादी मुकदमा उपनिरीक्षक मय हमराहीयान के मुखबिर के बताये अनुसार उस स्थान की तरफ जीप सरकारी से चला। आपस में एक दूसरे की जामातलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास अपराध से संबंधित कोई वस्तु नहीं है तथा अस्नाह राह से जनता के गवाह फराहम करने का प्रयास किया परन्तु कोई गवाह नहीं मिल सका और वादी मुकदमा मय हमराहीयान के कब्रिस्तान के पास पहॅुचा तो कब्रिस्तान के गेट के सामने सडक किनारे एक सफेद रंग की कार खडी देखी तथा उसके पास सडक किनारे पॉच व्यक्ति खडे है, तुरन्त जीप रोककर उतरकर उसने व हमराहीयान ने ललकारा तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले है मारो सालो को और उन्होंने एक राय मशवरा होकर पुलिस बल को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर एक दम फायर कर दिया, जिससे पुलिस वाले बाल बाल बचे। वादी मुकदमा उपनिरीक्षक व हमराहीयान ने साहस से काम लेते हुए एकदम दबिश देकर घेर घोट कर उन बदमाशों को भागने का मौका न देते हुए आवश्यक बल प्रयोग करके मौके पर ही समय करीब 21.10बजे रात्रि पकड लिया। पकडे जाने पर उनका नाम पता पूछते हुए उनकी जामातलाशी भी ली तो एक ने अपना नाम भूपेन्द्र यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव बताया, जिसकी जामातलाशी से उसके दाये हाथ से एक अदद तमन्चा 315बोर चालू हालत में, पहनी जीन्स की बायी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस, तमन्चे की नाल में फसा एक खोखा कारतूत बरामद हुआ, सूघने पर ताजे चले बारूद की गन्ध आ रही थी। दूसरे ने अपना नाम मोहित शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा बताया, जिसकी जामातलाशी से उसकी पहनी जीन्स की दाहिनी जेब से एक अदद चाकू और बायी जेब से एक मोबाईल फोन नोकिया सफेद, एक पर्स रंग काला जिसमें कागजात व 100रूपये बरामद हुए। तीसरे ने अपना नाम आदेश शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा बताया, जिसकी जामातलाशी से पहनी जीन्स की दाहिनी फैट से एक अदद चाकू, बायी जेब से एक मोबाईल फोन सफेद रंग कार्बन तथा पीछे की जेब से 150रूपये मिले। चौथे ने अपना नाम रितविक उर्फ बबलू शर्मा पुत्र बाबूराम शर्मा बताया, उसकी जामातलाशी से पहनी जीन्स की दायी तरफ उरसा

हुआ एक अदद चाकू, पीछे की जेब से एक अदद पर्स रंग काला, जिसमें कुछ कागजात व 120रूपये थे तथा एक मोबाईल फोन रंग काला .... बरामद हुआ तथा पॉचवे ने अपना नाम सोनू मलिक पुत्र उदयवीर सिंह बताया, उसकी जामातलाशी से पहनी जीन्स की पीछे की जेब से एक पर्स कत्थई रंग जिसमें कुछ कागजात व 110रूपये है तथा जीन्स की दायी जेब से एक मोबाईल फोन रंग काला बरामद हुआ तथा भूपेन्द्र यादव ने बताया कि उसका मोबाइल फोन व पर्स पायेदान के नीचे है, निकाला गया, एक पर्स रंग काला जिसमें कुछ कागजात व 120रूपये व एक मोबाइल फोन रंग सफेद स्पाईश बरामद हुआ । उपरोक्त पॉचों बदमाशों के कब्जे से एक कार स्वीफट डिजायर सफेद रंग की जिस पर यू.पी.16ए. ई.–2639 नम्बर की प्लेट लगी है, आगे व पीछे प्लेट लगी है, बरामद हुई। गाडी की टार्चो की रोशनी में तलाशी ली गयी तो गाडी की पिछली सीट के नीचे एक नम्बर प्लेट जिस पर डी.एल.9ईए.डी.–3228 लिखा है तथा प्लेट टूटी हुई तीन टुकडो में है बरामद हुई। अभियुक्तगण ने उनसे बरामद तमन्चा, कारतूस व चाकूओं को अपने पास रखने का लाईसेन्स मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहे तथा अभियुक्तो से बरामद स्वीफट डिजायर कार के कागजात मांगे गये तो नहीं दिखा सके। पूछने पर पॉचो ने एक राय मशवरा होकर बताया कि यह स्वीफट डिजायर कार हम पॉचो ने करीब 14–15 दिन पहले सेक्टर 62 नोएडा थाना सेक्टर 58नोएडा से चोरी की थी। हमने इस कार पर नकली नम्बर की यू.पी. 16ए.एफ.–2639 की प्लेट आगे पीछे लगा रखी है। इस कार का असली नम्बर हमने तोडकर हटा दिया है। वह टूटी हुई प्लेट जो गाडी से आपको मिली है, वही इस गाडी की असली नम्बर प्लेट है। तभी कार का बोनट खोलकर देखा गया तो बरामद कार का चेसिस नम्बर एन ए 3 एफ एस ई बी आई एस00450677 इंजन नम्बर डी13ए1946743 बरामद हुई। पॉचो अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराया गया तथा हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद माल को अभियुक्तवार तमन्चा, कारतूस, खोखा कारतूस, व चाकूओं को अलग अलग कपडो में रखकर व पर्स एवं मोबाइल को अभियुक्तवार अलग अलग कपडो में रखकर, टूटी प्लेट को अलग कपडे में रखकर सील सर्वेमोहर किया गया, नमूना मोहर बनाये गये तथा स्विफट कार को कब्जे पुलिस लिया गया। दौराने गिरफतारी माननीय उच्च न्यायालय एवं मानवधिकार आयोग के निर्देशो का पूर्णतः पालन किया गया । फर्द मौके पर वादी उपनिरीक्षक द्वारा बोल बोलकर एच.सी.पी. जयपाल सिंह से टार्चो की रोशनी में लिखवाई गई। फर्द का मजबून पढकर सुनाकर गवाही गवाहान बनवाई गयी। गिरफतारी मेमो बनाया गया। फर्द की कार्बन प्रति सभी अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त मोहित शर्मा को देकर हस्ताक्षर बनवाये गये।

4. इस फर्द बरामदगी के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद में मु0अ0सं0 512/2014 धारा 147,148,149,307 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्तगण भूपेन्द्र आदि, मु0अ0सं0 513/2014 धारा 25 आयुध अधिनियम अभियुक्त भूपेन्द्र यादव, मु0अ0सं0–514/2014 धारा 25/4 आयुध अधिनियम

अभियुक्त मोहित शर्मा, मु0अ0सं0–515/2014 धारा 25/4 आयुध अधिनियम अभियुक्त आदेश शर्मा, मु0अ0सं0–516/2014 धारा 25/4 आयुध अधिनियम अभियुक्त बबलू शर्मा तथा मु0अ0सं0–517/2014 धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 अभियुक्तगण भूपेन्द्र आदि के विरूद्ध के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना अमल में लाई गई।

5. बाद विवेचना अभियुक्तगण भूपेन्द्र यादव, मोहित शर्मा, आदेश शर्मा, सोनू मलिक,रितविक उर्फ बबलू शर्मा के विरूद्ध धारा–147,148,149,307 भा0द0सं0, धारा 420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त मोहित शर्मा के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त आदेश शर्मा के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अलग–अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बुलन्दशहर के आदेश दिनांकित 03.01.2015 के द्वारा अभियुक्तगण के उपरोक्त सभी मामलें विचारण हेतु सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया।

6. अभियुक्तगण को सत्र न्यायालय में तलब किया गया। दिनांक 17. 08.2015 को अभियुक्तगण भूपेन्द्र यादव, मोहित शर्मा, आदेश शर्मा, सोनू मलिक के विरूद्ध धारा–147,148,307/149 भा0द0स0, अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त मोहित शर्मा के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त आदेश शर्मा के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम तथा दिनांक 08.02.2021 को अभियुक्तगण भूपेन्द्र यादव, मोहित शर्मा, आदेश शर्मा, सोनू मलिक के विरूद्ध धारा 420,468,478,471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया और विचारण की याचना की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में पी0डब्लू01 वादी मुकदमा राकेश कुमार, पी0डब्लू02 उपनिरीक्षक सुनील कुमार, पी0डब्लू03 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक इश्हाक अहमद व पी0डब्लू04 निरीक्षक श्योपाल सिंह को परीक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–2, नकल जी0डी0 कायमी मुकदमा प्रदर्श क–3, नक्शानजरी प्रदर्श क–4, धारा 147,148,307 भा0द0सं0 के अन्तर्गत प्रेषित आरोपपत्र प्रदर्श क–5, मु0अ0सं0 513/2014 धारा 25 आयुध अधिनियम की नक्शानजरी प्रदर्श क–6, मु0अ0सं0–514/2014 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम मोहित का आरोपपत्र प्रदर्श क–7 व नक्शानजरी प्रदर्श क–8, मु0अ0सं0–515/2014 धारा 25/4 आयुध अधिनियम बनाम आदेश का आरोपपत्र प्रदर्श क–9 व नक्शानजरी प्रदर्श क–10, मु0अ0सं0 517/2014 धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 का आरोपपत्र प्रदर्श क–11 व नक्शानजरी प्रदर्श क–12 प्रस्तुत कर साबित किए गए हैं ।

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0स0 अभिलिखित किये गये जिसमें उन्होने

अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए घटना का कोई स्वतंत्र साक्ष्य न होना, मुकदमा साजिशन फर्जी चलना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

10. अभियुक्त मोहित द्वारा अपने विशेष कथन में कहा गया है कि वह बी0काम प्रथम वर्ष का छात्र है, उसने कुछ नहीं किया, वह निर्दोष है।

अभियुक्त भूपेन्द्र ने अपने विशेष कथन में कहा है कि वह निर्दोष है, वह पोलिटेनिक द्वितीय वर्ष का छात्र है।

अभियुक्त सोनू मलिक द्वारा अपने विशेष कथन में कहा गया है कि उसकी टेलर की दुकान है, उसने कोई अपराध नहीं किया है।

अभियुक्त आदेश ने अपने विशेष कथन में कहा है कि वह पूरी तरह निर्दोष है, वह बी0काम प्रथम वर्ष का छात्र है।

11. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

12. अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.06.2014 को समय 21.10 पी.एम. पर स्थान कब्रिस्तान के सामने खुर्जा रोड थाना सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्व जमाव का गठन वादी उपनिरीक्षक राकेश कुमार व उनकी पुलिस पार्टी के अन्य सदस्यो पर जान से मारने की नियत से तमन्चा व चाकू से प्रहार किया, यदि उनके इस कृत से किसी पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के दोषी होते।

13. अभियुक्तगण के विरूद्व यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर गिरफतार किये जाने पर उनके कब्जे से स्वीफट डिजायर कार बरामद हुई, जिसमें छल कपट पूर्वक कूटरचना करके नकल नम्बर प्लेट यू.पी.16ए.एफ.–2639 का इस्तेमाल, असली के रूप में किया।

14. अभियुक्तगण के विरूद्व यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर गिरफतार किये जाने पर अभियुक्त भूपेन्द्र यादव से अवैध तमन्चा 315, जिन्दा कारतूस व खोखा कारतूस, अभियुक्तगण मोहित शर्मा, आदेश शर्मा व सोनू मलिक से नाजायज चाकू बरामद हुए, जिन्हें रखने का उनके पास कोई लाईसेन्स नहीं था।

15. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये उक्त आरोपों को सिद्व करने हेतु कुल 04 साक्षीगण को परीक्षित कराया है।

16. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू01** उपनिरीक्षक राकेश कुमार ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.06.2014 को वह थाना सिकन्द्राबाद पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। इसी तारीख को वह व हमराहीयान एच.सी.पी. जयपाल सिंह सी.सी. कपिल कुमार, सी.सी. राजेन्द्र सिंह, सी.सी. अनुज कुमार, सी.सी. जितेन्द्र सिंह मय जीप सरकारी यू.पी.13ए.जी. मय चालक कमल सिंह थाना हाजा से रवाना होकर रपट नम्बर 42 समय 19:30 बजे देखरेख थाना क्षेत्र संदिग्ध व्यक्ति व वाहन गश्त में मामूर थे। गश्त करते हुए सिकन्द्राबाद खुर्जा रोड पर गाजर

के प्लाट पर पहुँचे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली पॉच बदमाश जिनके पास चोरी की स्विफट गाडी है, सडक किनारे कब्रिस्तान के पास खडे हैं। स्विफट गाडी पर यू.पी.16ए.ई.–2639 की नम्बर प्लेट लगी है। इस सूचना पर विश्वास करके वही पर पुलिस वालों ने आपस में एक दूसरे की जामातलाशी ले देकर मय मुखबिर के, विश्वास किया कि कोई अपराध संबंधी किसी के पास कोई वस्तु नहीं है। वहीं जनता के गवाहान ढूढने की कोशिश की, नहीं मिले। कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो मुखबिर बताकर चला गया। हम पुलिस वालों ने गाडी खडी देखी तो वहॉ पर पॉच व्यक्ति गाडी के पास खडे थे। जीप को रोक कर उससे उतरकर पुलिस वालों ने उन्हें टोका, ललकारा तो उन्होंने कहा यह तो पुलिस वाले हैं मारो सालो को, कहते हुए हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे वे बाल बाल बचे। पुलिस वालों ने उन लोगों को घेर घोटकर दबिश देकर पॉचो व्यक्तियों को 21.10बजे कब्रिस्तान के सामने ही सडक पर पकड लिया। पकडे हुए व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम भूपेन्द्र यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव बताया, उसके दांये हाथ से एक तमन्चा 315बोर,नाल में एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस पहने पैन्ट से दो जिन्दा कारतूस 315बोर बरामद हुए। दूसने व्यक्ति ने अपना ाम मोहित शर्मा पुत्र राजेन्द्र बताया। उसकी जामातलाशी से दाहिने जेब से एक चाकू व पैन्ट की बायी जेब मोबाइल व 100रूपये एक पर्स बरामद हुआ। तीसरे ने अपना नाम आदेश शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा बताया, जिसकी जामातलाशी से एक चाकू बरामद हुआ,इसकी पैन्ट की बायी जेब से मोबाइल कार्बन कम्पनी का और पीछे की जेब से 150रूपये बरामद हुए। चौथे ने अपना नाम रितविक उर्फ बबलू शर्मा बताया, जिसकी जामातलाशी से एक चाकू नाजायज बरामद हुआ, पहनी पैन्ट की पीछे की जेब से पर्स, 120रूपये, कुछ कागजात व एक मोबाइल बरामद हुआ। पांचवे ने अपना नाम सोनू मलिक पुत्र उदयवीर सिंह बताया जिसकी जामातलाशी से पहनी पैन्ट की पीछे की जेब से पर्स, कुछ कागजात व 110रूपये, जीन्स की दाहिनी जेब से एक मोबाइल बरामद हुआ। भूपेन्द्र ने बताया उसका मोबाइल व पर्स गाडी के पायदान के नीचे है, निकाला गया, एक पर्स काला कुछ कागजात व 120रूपये व मोबाइल बरामद हुए। उक्त व्यक्तियों से एक स्वीफट डिजायर कार रंग सफेद नम्बर यू.पी.16ए.ई.–2639 की प्लेट आगे पीछे लगी थी,बरामद हुई। गाडी की टार्चो को जलाकर तलाशी ली गयी तो गाडी की डिक्की में पिछली सीट के नीचे एक नम्बर प्लेट टूटी फूटी तीन टुकडो में बरामद हुई, जिसका नम्बर डी.एल.9सी.ए.डी3228 लिखा था।गाडी के कागजात दिखाने को कहा तो नहीं दिखा सके। पूछताछ पर पॉचो ने बताया कि यह गाडी हमने नोएडा से 14–15 दिन पहले चोरी की थी। हमने इस गाडी पर नकली नम्बर प्लेट लगा रखी है। असल नम्बर प्लेट गाडी में है जो टूटी फूटी हालत में बरामद हुई है। बरामद गाडी का बोनट खोलकर देखा तो चैसिस नम्बर एन ए 3 एफ एस ई बी आई एस00450677 इंजन नम्बर डी13ए1946743 था। उक्त कार को कब्जे पुलिस लिया गया। अलग अलग सामान, असलहा को बरामद करके

अलग अलग कपडो में रखकर अभियुक्तवार सर्वे सील मोहर किया गया और फर्द बरामदगी उसने बोलकर एच.सी.पी. जयपाल से लिखाई थी। फर्द टार्च की रोशनी में बनायी थी। फर्द पढकर सुनाकर हमराहीयान को सुनाये थे। उनके हस्ताक्षर कराये थे। अपने भी हस्ताक्षर किये थे। फर्द की नकल मुल्जिमान को देकर उनके भी हस्ताक्षर कराये थे। गवाह ने असल फर्द को देखकर कहा कि यह वही फर्द है, इस पर उसके हस्ताक्षर है, उस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। माल व मुल्जिमान को लेकर थाना सिकन्द्राबाद आये तथा मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमें दर्ज कराये। माल थाने पर दाखिल किया।

17. न्यायालय के समक्ष सील पुलिन्दा बंडल जिसमें 513/2014 बनाम भूपेन्द्र बंडल खोला गया जिसके अन्दर से एक तमन्चा 315बोर , दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस निकला। सील बन्द कपडे पर वस्तु प्रदर्श–1, तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श–2, जिन्दा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–3,4 व खोखाकारतूस पर वस्तु प्रदर्श–5 डाला गया। एक सील बन्द बण्डल मु0अ0सं0 514/2014 बनाम मोहित खोला गया, जिसके अन्दर से एक चाकू निकला। सील बन्द कपडे पर वस्तु प्रदर्श–6 व चाकू पर वस्तु प्रदर्श–7 डाला गया। एक सीलबन्द बंडल जिस पर 515/14 अंकित है, खोला गया जिसे अन्दर से एक चाकू निकला, कपडे पर वस्तु प्रदर्श–8 व चाकू पर वस्तु प्रदर्श–9 डाला गया। बंडल 516/14 बनाम बबलू खोला गया जिसके अन्दर से एक अदद चाकू निकला जिसके कपडे पर वस्तु प्रदर्श–10 व चाकू पर वस्तु प्रदर्श–11 डाला गया। एक सीलबन्द बंडल 517/14 खोला गया जिसमे एक टूटी हुई गाडी की नम्बर प्लेट निकली, जिसके कपडे पर वस्तु प्रदर्श–12 व नम्बर प्लेट पर वस्तु प्रदर्श–13 डाला गया, ये समस्त बरवक्त जामातलाशी अभियुक्तगण बरामद हुआ था। अभियुक्तगण की गिरफतारी के समय ही मौके पर फर्द तैयार करके सभी बरामद माल मौके पर ही सील सर्वे मोहर किया गया था।

18. अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि वह 7:30बजे थाने से रवाना हुआ था,रवानगी मुंशी ने की थी। थाने से गाजर प्लान्ट कितनी दूर है वह अंदाज से भी नहीं बता सकता। उसने कई लोगों से नाम पता पूछा था लेकिन किसी ने नहीं बताया। भलाई बुराई के कारण उन्होंने गवाही देने से भी इंकार कर दिया। यह बात सही है कि गाजर प्लान्ट खुर्जा–सिकन्द्राबाद वाले रोड पर है। यह रोड बदस्तूर चलता रहता है। जिस समय अभियुक्तगण को उन्होंने पकडा था, उस समय रोड पर आवागमन बदस्तूर जारी था। उसे नहीं पता कि किस चाकू का क्या आकार था और वह कहॉ बने थे। अभियुक्त भूपेन्द्र से बरामद कटटा चालू हालत में था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण किसी शादी से लौट रहे हो और पुलिस चेकिंग के दौरान कोई कहा सुनी हो गयी हो,जिससे अभियुक्तगण को इस मुकदमें में फर्जी फंसाया गया हो। अभियुक्त ने 20–25कदम की दूरी से फायर किया था। इस घटना के संबंध में उसने कोई जानकारी हासिल नहीं की कि अभियुक्तगण उस समय पढ रहे थे।

19. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू02** उपनिरीक्षक सुनील कुमार शर्मा ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.06.2014 को उसकी डयूटी थाना सिकन्द्राबाद पर बतौर हेड मोहर्रिर थी, उसी दिन वादी उपनिरीक्षक राकेश कुमार के फर्द के आधार पर मु0अ0सं0 512/14 धारा 147,148,149,307 बनाम भूपेन्द्र आदि, मु0अ0सं0 513/14 बनाम भूपेन्द्र यादव, मु0अ0सं0 514/14 अन्तर्गत धारा 25/4 आयुध अधिनियम बनाम मोहित शर्मा, मु0अ0सं0 515/14 अन्तर्गत धारा 25/4 आयुध अधिनियम बनाम आदेश शर्मा, मु0अ0सं0 516 अन्तर्गत धारा 25/4 बनाम बबलू शर्मा, मु0अ0सं0 517/2014 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भा0द0सं., मु0अ0सं0 निल/14 धारा 41/102 दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता उसके द्वारा किता की गयी थी जो आज पत्रावली पर कागज संख्या 4ए/1 ता 4ए/3 मौजूद है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। इस मुकदमे की जी0डी0 नम्बर 48 दिनांक 13.06.2014 को समय करीब 23:10बजे उसके द्वारा किता किया गया जो पत्रावली पर 6ए/2 ता 3 मौजूद है जिसकी मूल जी0डी0 समयावधि पूर्ण होने के बाद समयानुसार नष्ट हो चुकी है, जिसकी छाया प्रति सत्यापित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया, विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

20. अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्तगण को थाने पर 23:10बजे दाखिल किया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण को पहले से ही थाने पर बैठा रखा हो और बाद में झूॅठा मुकदमा प्लान्ट कर दिया हो। वादी मुकदमा ने जो फर्द व माल बरामदगी की फर्द उसे दी थी, उसी पर उसके द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह कहना गलत है कि प्रभारी निरीक्षक के कहने से एण्टी टाईम मुकदमा दर्ज किया हो।

21. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू03** सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक इस्हाक अहमद ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में उपरोक्त मुकदमों की विवेचना स्वयं द्वारा करने, नकल चिक, नकल रपट व गवाहान के बयान अंकित करने का कथन करते हुए मु0अ0सं0 512/2014 धारा 147,148,149,307 भा0द0सं0 की नक्शानजरी को प्रदर्श क–4 व आरोपपत्र को प्रदर्श क–5, मु0अ0सं0 513/2014 अन्तर्गत धारा 25आयुध अधिनियम बनाम भूपेन्द्र यादव की नक्शानजरी को प्रदर्श क–6, मु0अ0सं0–514/2014 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम मोहित शर्मा के आरोपपत्र को प्रदर्श क–7 व नक्शानजरी को प्रदर्श क–8, मु0अ0सं0 515/14 अन्तर्गत धारा 25/4 आयुध अधिनियम बनाम आदेश के आरोपपत्र को प्रदर्श क–9 व नक्शानजरी को प्रदर्श क–10, मु0अ0सं0 517/2014 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 बनाम भूपेन्द्र आदि के आरोपपत्र को प्रदर्श क–11 व नक्शानजरी को प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया है।

22. अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमें की विवेचना उसे दिनांक 14.06.2014 को प्राप्त हुई थी। वह दिनांक 15.06.2014 को घटना स्थल पर 10बजे सुबह पहुॅचा

था। उसके साथ मुकदमा वादी एस.आई. राकेश कुमार थे। उसने स्वयं चलने से पहले रवानगी के लिये दीवानजी से बोला था। वह नहीं बता सकता कि दीवानजी ने रवानगी किस समय की थी। यह बात सही है कि गाजर प्लान्ट के आसपास काफी आबादी है तथा पास में ही कब्रिस्तान भी है। उसने नक्शानजरी में गाजर प्लान्ट की दूरी नहीं दिखाई है। नक्शानजरी में चिन्ह A से B की दूरी 25कदम दर्शायी है। उसने घटना स्थल के आसपास के किन लोगों से पूछताछ की थी, ध्यान नहीं है, उनके बयान भी लिये थे। आसपास के लोगों ने घटना सुनना बताया लेकिन ऑखों से देखना नहीं बताया था। यह बात सही है कि आज माल मुकदमा उसके सामने नहीं है। बरामदशुदा कटटा व खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस का मुकदमा चलाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को उसके द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया था। उसके बाद अग्रिम विवेचना अन्य किसी उपनिरीक्षक द्वारा की गयी थी। बरामदशुदा चाकू सील बन्द थे।उसने चाकूओं को देखा नहीं था। बरामदशुदा स्वीफ्ट डिजायर गाडी जिस पर नम्बर यू.पी.16ए.ई.2639 की प्लेट लगी थी तथा गाडी के अन्दर एक टूटी प्लेट जिस पर डी.एल.9सी.ए.डी.3228 लिखा सीट के नीचे मिली थी। यह बात सही है कि प्लेट तीन चार टुकडो में टूटी हुई थी।

23. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू04** निरीक्षक श्यौपाल सिंह ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.08.2014 को मु0अ0सं0 513/2014 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम भूपेन्द्र की विवेचना उसके द्वारा एस.एच.ओ. महोदय के आदेश से ग्रहण की गयी थी। दिनांक 09.09.2014 को सी.डी.–10 किता की गयी,जिसमें डी.एम. महोदय की अनुमति की नकल सी.डी. में किता की गयी व आदेश सी.डी. संलग्न किया गया। जिला मजिस्ट्रेट का आदेश पत्रावली पर 8ए के रूप में मौजूद है। उस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। उसी दिन उसके द्वारा आरोपपत्र अभियुक्त भूपेन्द्र यादव अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है जो पत्रावली पर कागज संख्या 3ए के रूप में मौजूद है। उस पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

24. अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा इस केस में अनुमति लेने के लिये कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी थी, पूर्व विवेचक द्वारा की गयी थी। पूर्व विवेचक द्वारा ही बरामदशुदा कटटा व खोखा कारतूस जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया होगा। यह बात सही है कि उसने बरामदशुदा कटटा व खोखा कारतूस नहीं देखा था। इस समय उसे ध्यान नहीं है कि उसने जी0डी0 में रवानगी का इन्द्राज किया था या नहीं। यह बात सही है कि उसके द्वारा इस मुकदमें में आरोपपत्र प्रेषित किया गया था। उसके द्वारा इस मुकदमें में किसी गवाह के बयान अंकित नहीं किये गये थे, पूर्व विवेचक द्वारा किये गये थे।

25. सर्वप्रथम **सत्र परीक्षण संख्या 39/2015 अन्तर्गत धारा 147,148 तथा 307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता** के संबंध में साक्ष्यो का

विश्लेषण किया जा रहा है।

26. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित है कि बदमाशों ने एक राय होकर पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से एकदम फायर कर दिया जिससे वे बाल–बाल बचे।

27. प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि फायर कितने राउण्ड हुए और किस व्यक्ति ने किये। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सिर्फ अभियुक्त भूपेन्द्र यादव की जामातलाशी से एक अदद तमन्चा 315बोर तथा पहनी हुई जीन्स बायी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा तथा तमन्चे की नाल को खोलकर देखने पर उसमें एक खोखा कारतूस पाया जाना बताया गया है। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 राकेश कुमार ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में वही कथन किया है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है अर्थात इस साक्षी ने भी अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कितने फायर हुए इसका उल्लेख नहीं किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि जनता के गवाहान ढूढने की कोशिश की लेकिन वे नहीं मिले, वही प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि भलाई बुराई के कारण लोगों ने गवाही देने से इंकार कर दिया था। इस प्रकार घटना के संबंध में जनता के गवाह की उपलब्धता होने के बिन्दु पर इस साक्षी के स्वयं के अपने बयान में विरोधाभाष है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि उसने नाम पता पूछा था, पर किसी ने नाम पता नहीं बताया। परन्तु इस साक्षी द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर क्या विधिक कार्यवाही की गयी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा ऐसी व्यक्तियो पर जिन्होंने पुलिस द्वारा गवाही दिये जाने पर कहने पर अपना नाम पता नहीं बताया और गवाही से इंकार किया, के संबंध में इन व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

28. साक्षी पी0डब्लू01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि अभियुक्त ने 20–25कदम की दूरी से फायर किया था। उल्लेखनीय है कि पुलिस बल में इस साक्षी को मिलाकर कुल 6 लोग थे और इतनी कम दूरी से फायर करने पर भी किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी, यह स्वाभाविक नहीं लगता है और मामले को संदेहास्पद बनाता है।

29. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि थाने से रवानगी की कोई जी0डी0 अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह साबित हो सके कि दिनांक 13.06.2014 को समय 19:30बजे यह पुलिस बल थाने से रवाना हुई।

30. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के साथ पॉच अन्य हमराहीयान का भी घटना के समय उपस्थित होना बताया गया है, परन्तु उनमें से किसी को भी अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है।

31. जहॉ तक इस घटना के संबंध में जनता के गवाहो का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से ऐसे किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विवेचक द्वारा ऐसे किसी साक्षी का बयान अंकित किया गया है। साक्षी पी0डब्लू03 इश्हाक अहमद जो कि इस घटना के विवेचक है, ने अपने सशपथ साक्ष्य में यह कहा है कि उसने घटना के आसपास के किन

लोगों से पूछताछ की थी, उसे ध्यान नहीं है। उनके बयान भी लिये थे। इस साक्षी के अनुसार आसपास के लोगों ने घटना सुनना बताया था, लेकिन ऑखों से देखना नहीं बताया था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी का यह स्वीकृत कथन है कि घटना स्थल गाजर प्लान्ट के आसपास काफी आबादी है और कब्रिस्तान भी है। फिर भी काफी आबादी होने के बावजूद भी अगल–बगल के किसी लोगों द्वारा फायर की आवाज न सुनना और घटना को न देखना, स्वाभाविक नहीं है और घटना को संदेहास्पद बनाती है।

32. अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147,148, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में तथ्य का मात्र एक साक्षी पी0डब्लू01 ही परीक्षित कराया गया है,जिसके उपरोक्त विश्लेषण किये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा फायर किये जाने की घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है।

33. **सत्र परीक्षण संख्या 44/2015 के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण–**

इस सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण पर कथित बरामद स्वीफ्ट डिजायर कार की असल नम्बर प्लेट को हटाकर उसके स्थान पर नकली नम्बर प्लेट यू.पी.16ए.एफ.–2639 का इस्तेमाल करने के कारण धारा 420, 467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया है।

34. इस संबंध में इन धाराओं का उल्लेख करना आवश्यक है।

धारा 467 भारतीय दण्ड संहिता मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूटरचना के संबंध में दण्ड का प्राविधान करती है तथा कूटरचना की परिभाषा **धारा 463 भारतीय दण्ड संहिता** में दी गयी है जो इस प्रकार है–

''जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेज के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाये, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाये, या यह साबित किया जाये कि कोई व्यक्ति, सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करें या इस आशय से रचता है कि कपट करें या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है।''

छल की परिभाषा **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415** में दी गयी है, जो इस प्रकार है–

''जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे, कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शरीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होना सम्भाव्य है, वह छल करता है, यह कहा जाता है।''

धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकार है–

''जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में सम्परिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।''

35. उल्लेखनीय है कि इस बिन्दु पर अभियोजन की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आरोपित अभियुक्तगण द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया गया हो और ऐसी प्रवंचना के अधीन उस व्यक्ति ने उन्हें कोई सम्पत्ति परिदत्त की हो।

36. जहॉ तक कूटरचना का प्रश्न है, कूटरचना की परिभाषा से स्पष्ट है कि कूटरचना किसी दस्तावेज या वस्तु की होती है। अभियोजन का यह मामला नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा किसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग को लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से रचा गया है। अभियोजन की ओर से इस बिन्दु पर यह भी साक्ष्य नहीं है कि जिस नम्बर प्लेट को फर्जी या कूटरचित बताया जा रहा है, उस नम्बर प्लेट को अभियुक्तगण ने बनाया या रचा हो। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से कथित बरामद स्विफ्ट डिजायर गाडी का असली पंजीयन प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे बरामद गाडी का इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर का मिलान किया जा सके कि बरामद गाडी पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा हुआ था।

37. अतः ऐसी स्थिति में जबकि कूटरचना एवं छल के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, तब ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पर धारा 420,467 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप साबित नहीं होता और चूँकि धारा 468 एवं 471 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप तभी सफल होगा, जब धारा 420 व 467 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप साबित हो, क्योंकि धारा 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता इन्हीं दोनों धारा 420 व 467 भारतीय दण्ड संहिता पर आधारित है। अतः ऐसी स्थिति में धारा 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप भी साबित नहीं होता है।

38. **सत्र वाद संख्या 40/2015, सत्र वाद संख्या 41/2015 तथा सत्र वाद संख्या 42/2015 के संबंध में साक्ष्यों का विश्लेषण–**

सत्र वाद संख्या 40/2015 में अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध अवैध तमन्चा, एक अदद खोखा कारतूस व दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद होने के कारण धारा 25आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है। इसी प्रकार सत्र वाद संख्या 41/2015 में अभियुक्त मोहित के विरूद्ध उसके पास से एक प्रबंधित फल वाला चाकू बरामद होने के कारण धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया है तथा सत्र वाद संख्या 42/2015 में भी अभियुक्त आदेश

शर्मा के विरूद्ध प्रतिबंधित फल वाला चाकू बरामद होने के कारण धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया है।

39. आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी लिया जाना आवश्यक है।

धारा 39 आयुध अधिनियम, 1959 यह प्राविधान करती है कि–

"किसी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।"

40. अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर से स्वीकृति प्राप्त की गयी थी अथवा नहीं।

41. इस संबंध में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू03 इश्त्याक अहमद ने अपने सशपथ साक्ष्य में यह कहा है कि बरामदशुदा कटटा व खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस का मुकदमा चलाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को उसके द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया था। उसके बाद अग्रिम विवेचना अन्य किसी उपनिरीक्षक द्वारा की गयी थी। इस साक्षी के इस साक्ष्य से स्पष्ट है कि इसने धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने की स्वीकृति हेतु तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया था। यह स्वयं जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था और न ही उसने बरामद कथित देशी तमन्चा, जिन्दा व खोखा कारतूस जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर के समक्ष प्रस्तुत किया था। जहॉ तक दूसरे विवेचक का प्रश्न है, वह साक्षी पी0डब्लू04 के रूप में परीक्षित हुए है। इस साक्षी पी0डब्लू04 श्योपाल सिंह ने इस बिन्दु पर अपने सशपथ साक्ष्य में कहा है कि उसके द्वारा इस केस में अनुमति लेने की कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी थी। पूर्व विवेचक द्वारा ही की गयी थी तथा पूर्व विवेचक द्वारा ही बरामदशुदा कटटा व खोखा कारतूस जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया होगा। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि इसने भी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कथित बरामद तमन्चा तथा जिन्दा व खोखा कारतूस प्रस्तुत नहीं किया।

42. पत्रावली पर जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा दी गयी अभियोजन स्वीकृति आदेश संख्या 37 दिनांकित 05.09.2014 प्रदर्श क–13 के रूप में संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस आदेश में भी जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा उनके समक्ष बरामदशुदा तमन्चा व जिन्दा तथा खोखा कारतूस प्रस्तुत किये जाने और उनके द्वारा उसका अवलोकन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस आदेश में केवल विवेचक इश्हाक अहमद द्वारा प्रेषित प्रार्थनापत्र और उनके द्वारा की गयी प्रार्थना का ही उल्लेख है।

43. यहॉ यह भी स्पष्ट करना है कि कथित बरामद तमन्चा, जिन्दा व खोखा कारतूस तथा चाकू को विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित कर जॉच

नहीं करायी गयी है और न ही ऐसी कोई जॉच रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है। जिससे यह साबित हो सके कि क्या बरामदशुदा तमन्चा व कारतूस कार्यशील थे अथवा नहीं और क्या उस तमन्चे से गोली चलायी गयी तथा क्या कथित बरामद तमन्चा, कारतूस एवं चाकू धारा 3 व धारा 4 आयुध अधिनियम की परिधि में आते हैं।

44. कथित बरामद चाकू के संबंध में साक्षी पी0डब्लू01 ने कहा है कि उसे नहीं पता कि किस चाकू का आकार क्या था। जबकि यह साक्षी ही उस चाकू को बरामद करने वाला व्यक्ति है फिर भी इसे चाकू का आकार नहीं पता तो कैसे कहा जा सकता है कि बरामद चाकू प्रतिबंधित चाकू की श्रेणी में आता था। इस बिन्दु पर विवेचक साक्षी पी0डब्लू03 इश्हाक अहमद ने अपने सशपथ साक्ष्य में कहा है कि बरामदशुदा चाकू सील बन्द नहीं थे, उसने चाकूओं को देखा नहीं था, अर्थात इस साक्षी ने भी जो कि विवेचक है, ने बरामदशुदा चाकूओं की लम्बाई,उनके फल की चौडाई आदि जानने का कोई प्रयास नहीं किया। जहॉ तक दूसरे विवेचक का प्रश्न है उन्होंने अपने सशपथ साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने केसडायरी में साक्ष्य का अवलोकन करके आरोपपत्र प्रेषित कर दिया था, उनके द्वारा किसी गवाह के बयान आदि अंकित नहीं किये गये। इससे साबित होता है कि अभियुक्तगण से कथित रूप से बरामद चाकूओं की लम्बाई चौडाई आदि का कोई उल्लेख या जानकारी न तो वादी मुकदमा साक्षी पी0डब्लू01 को है और न ही इस मामले के विवेचकगण को है और न ही इसकी जॉच के लिये इन चाकूओं को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है।

45. इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **इरशत अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 12.06.2026** को पारित निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पैरा–34 लगायत 38 में यह उल्लिखित किया है कि–

"34. The appellants Muquim and Bhajju were also charged for the offence punishable under Section 25 of the Arms Act. It is the case of the prosecution that one single-barrel gun and five live cartridges were recovered from the possession of appellant Muquim and one country-made pistol, one empty cartridge and three live cartridges were recovered from appellant Bhajju. P.W.3 Sher Khan has denied that any such weapons were recovered from them, in his presence. The prosecution has also not sent these arms and cartridges for forensic examination to prove that the arms were in working condition and the empty cartridge was fired from the country-made pistol and the live cartridges were live, falling within the definition of arms and ammunition.

35. The Honble Supreme Court in Buta Singh v State of Punjab 1997 SCC (Criminal) page 1217 found that the object allegedly seized from the appellant were not sent for expert opinion either to the ballistic expert or to any armorer. There is no evidence on the record to show that the objects recovered from the appellant satisfied the definition of arms and ammunition or firearm as contained in the Arms Act. In

absence of the above the conviction of the appellant was set aside. In another case State of Punjab v. Jagga Singh 1998 Allahabad JIC page 744 SC also Hon'ble Supreme Court found that there was no satisfactory evidence to show that the said gun and the cartridges were sent for examination to the Central Forensic scientific Laboratory. There is no report from the forensic Scientific Laboratory nor any other evidence to prove that the said gun was in a working condition or that the said cartridges were live cartridges. In absence of this and other factors it was held that the accused were rightly acquitted.

36. In view of the above decisions of Honble Supreme Court, in absence of any ballistic report in this case, the alleged arms and ammunition does not fall within the category of arms and ammunition to bring the case against the appellants under section 25 of the Arms Act.

37. The investigating offier has obtained sanction from the District Magistrate, for prosecution under Section 25 of the Arms Act and P.W.5, Suresh Chand Rastogi, Arms Clerk (Collectorate), was examined to prove the sanction granted by the District Magistrate. He has stated that the District Magistrate has not recorded in writing that he perused the case diary and the weapons and cartridges before granting the sanction order for prosecution. P.W.4, R.K. Singh, the Investigating Officer of the case, has stated that he did not appear before the District Magistrate to obtain sanction for prosecution. A perusal of the District Magistrates sanction shows that it was given on the charge sheet itself; it does not show that he perused the case diary or inspected the arms and ammunition. Therefore, this is not a proper sanction order.

38. In view of the above, the charge under Section 25 of the Arms Act against the appellants Muquim and Bhajju are also not proved. So it comes to the conclusion that the prosecution has miserably failed to prove its case beyond reasonable doubt, and therefore the appellants Muquim and Bajju are entitled to the benefit of doubt. Their conviction and sentence under Sections 399 and 402 of the IPC as well as Section 25 of the Arms Act are not sustainable. The learned Trial Court failed to appreciate the evidence on record correctly and reached at an incorrect conclusion regarding the guilt of the appellants."

46- अभियोजन स्वीकृति दिये जाने के बिन्दु पर ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने **दाण्डिक अपील संख्या 1793/1996 सत्यवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में पारित निर्णय दिनांकित 17.11.2023 के पैरा–21 लगायत 25 का उल्लेख करना आवश्यक है–

"21. So far as the question of grant of sanction is concerned, mere filing of a document alongwith other papers submitted at the time of police report, cannot be said to be a proper compliance of giving evidence to prove the requirement of Section 39 of the Arms Act. Section 39 of the Arms Act provides that previous sanction of the District Magistrate is necessary for the prosecution against any person in respect of any offence under Section 39. Sanction under section 39 of the Arms Act is not a mere formality. It has to be proved that it was granted by District Magistrate after applying his mind. It

must be shown that the firearm or weapon with respect to which sanction was prayed, was actually taken to the authority concerned and after looking to it, the relevant papers, understanding and after applying his mind sanction was granted.

22. There is no evidence on record that the investigating officer asked for sanction and nothing has been brought on record to suggest that the country made pistol .303 bore was made available to the District Magistrate at the time of granting sanction under section 39 of the Arms Act.

23. In the present case, the objects allegedly seized from the appellant were not sent to for any expert opinion either to any ballistic expert or to any armourer. There is no evidence with regard to the recovered articles sent for FSL report or opinion of a ballastic expert to ascertain whether the bullet could have been fired from the recovered weapon. There is no evidence on record to show that the objects recovered from the appellant satisfied the definition of "arm" and "ammunition" or "firearm" as contained in the Arms Act.

24. The recovery of one country made pistol .303 bore, one empty cartridge and three .303 bore live cartridges is not sufficient to prove the guilt of the appellant regarding the commission of the alleged offence.

25. It is difficult for the court to ascertain whether the recovered weapon has been used by the appellant in the commission of the present offence or having possession of illegal weapon, when the PW-1, PW-2 and PW-3, who were claiming themselves as eye witnesses of the incident stated that they had not seen the appellant to shot fire upon the deceased. In the absence of any such evidence, the conviction of the appellant under section 25/27 of the Arms Act cannot be sustained."

47. अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं सम्मानित विधि व्यवस्थाओं में पारित विधि सिद्धान्त के आलोक में अभियुक्त भूपेन्द्र यादव पर धारा 25 व अभियुक्तगण मोहित शर्मा व आदेश शर्मा पर 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप भी साबित नहीं होते हैं।

48. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन अपने साक्ष्यों के माध्यम से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 39/2015 में अभियुक्तगण भूपेन्द्र यादव, मोहित शर्मा, आदेश शर्मा व सोनू मलिक को लगायें गयें आरोप अन्तर्गत धारा 147,148,307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता से दोष मुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 40/2015 में अभियुक्त भूपेन्द्र यादव को लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 41/2015 में अभियुक्त मोहित शर्मा को लगाये

गये आरोप अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 42/2015 में अभियुक्त आदेश शर्मा को लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 44/2015 में अभियुक्तगण भूपेन्द्र यादव, मोहित शर्मा, आदेश शर्मा व सोनू मलिक को लगायें गयें आरोप अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनका निजी बन्ध पत्र व जमानतनामे निरस्त किए जाते है तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा–437ए द0प्र0स0 में उपबन्धित प्राविधानों के अनुसार अंकन 20000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही राशि के दो–दो प्रतिभूति पत्र एक सप्ताह के अन्दर इस आशय से प्रस्तुत किया जाये कि माननीय उच्चतर न्यायालय के समक्ष इस निर्णय के विरूद्व अपील दाखिल होने की दशा में नोटिस जारी किए जाने पर वे उपस्थित होगें।

इस निर्णय की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 40/2015, 41/2015, 42/2015 तथा 44/2015 की पत्रावलियों में रखी जायें।

इस मुकदमें का माल मुकदमाती बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांकः12.08.2026

(चन्द्र विजय श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–14,बुलन्दशहर
आई0डी0 कमांक–यू0पी0–6277

निर्णय तथा आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांकः12.08.2026

(चन्द्र विजय श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–14,बुलन्दशहर
आई0डी0 कमांक–यू0पी0–6277